राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग--5)

कमांक एफ 27 (16) ग्रावि/अनु–5/अन्य चिन्हित वर्ग/ . 2016–17 जयपुर, दिनांक 18 मई, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्,समस्त (अजमेर, बारा, भरतपुर, भीलवाडा,
बुन्दी हनुमानगढ, झुन्झनु, नागौर पाली, सीकर को छोडकर)
राजस्थान।

विषयः– "अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना" में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लाभार्थियों का लाटरी द्वारा चयन की सूचना भिजवाने बाबत।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्राकं दिनांक 31.03.2016 एंव 11.04.2016

उपरोक्त विषय एवं प्रसांगिक पत्रो द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना में 3000 परिवारों को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। जिसकी पालना में जिलो से प्राप्त पात्र परिवारों में से एकल विधवा श्रेणी पात्र परिवारो में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्ग के लाभार्थी परिवारों हेतु जिलेवार व वर्गवार लक्ष्य आवंटित किया गया है।

योजना में लाभार्थियो के चयन हेतु जिला स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण के लिये ग्राम पंचायत के चयन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष लाभार्थियों का लक्ष्यों के अनुसार लॉटरी द्वारा चयन किया जाकर 15.04.2016 तक सूचना चाही गई थी। इस हेतु प्रासांगिक पत्रों व दूरभाष द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी आदिंनाक तक लाभार्थियों के चयन की सूचना आपके स्तर से अपेक्षित है।

अतः निर्देशानुसार लाभार्थियों का चयन लॉटरी द्वारा कर सूचना 25.05.2016 तक भिजवाने की सुनिश्चितता करें।

(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पचायत राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, समस्त।
6. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि